न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2008 / 03 / चित्तौडगढ

रतन पुत्र टेका, जाति मीणा, निवासी ग्राम सनोटी तहसील प्रतापगढ जिला चित्तौडगढ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– गोपाल पुत्र गोरधन
2– गोविन्द पुत्र गोरधन
समस्त जाति हजूरी निवासी कुलथाना तहसील प्रतापगढ जिला चित्तौडगढ।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ जिला चित्तौडगढ।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री जे. के. पन्त, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री एस. के. पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 25 जुलाई, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 31–3–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–143/02 शीर्षक रतन बनाम गोपाल को खारिज किया है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 ने एक दावा संख्या–27/96 अन्तर्गत धारा–88–89 शीर्षक गोपाल आदि बनाम रतन, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कुलथाना तहसील प्रतापगढ की आराजी खसरा नम्बर–1042 रकबा 8.18 बीघा वादीगण के नाम पर व उनके कब्जे में थी। भू प्रबन्ध होने के पश्चात उपरोक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर–2293 रकबा 1.60 हेक्टेयर (जिसे

निर्णय में विवादग्रस्त भूमि कहा गया है) में पैमूद हुआ। विवादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट के पिता टेका ने संवत 2003 में गलत तरीके से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा ली। वादीगण 40 वर्षो से विवादग्रस्त जमींन पर काबिज काश्त है। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में यह भूमि प्रतिवादी रतन के नाम से है। इसलिये दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 को प्रतिकेल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–8–1991 के द्वारा दावा स्वीकार कर दावा डिक्री कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–8–1991 के विरूद्ध तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने निर्णय दिनांक 20–11–1995 के द्वारा अपील को स्वीकार कर विद्वान उप खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–8–1991 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दावा में तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। प्रतिप्रेषित प्रकरण को विद्वान उप खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ ने प्रकरण संख्या–27/96 पर दर्ज किया व अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–3–2002 के द्वारा वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 का दावा स्वीकार कर दावा डिक्री कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–3–2002 के विरूद्ध प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट ने प्रथमअपील संख्या–143/02 शीर्षक रतन बनाम गोपाल आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–3–2003 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–3–2002 तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–3–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि विवादग्रस्त भूमि संवत 2007 से 2009 प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट के पिता टेका के नाम से तत्कालीन अभिलेख खसरा टीप में अंकित थी। वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि अधिकार अभिलेख में अपीलान्ट के पिता के नाम से अंकित है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2014 में भी अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी के नाम अंकित है तथा संवत 2003 से 2014 यह अंकन खातेदार के रूप में है। अपीलान्ट के नाम से वर्तमान अपीलान्ट

अनुसूचित जन जाति मीणा समुदाय से है। जबकि वादी / रेस्पोन्डेन्ट अनुसूचित जन जाति के हैं। धारा–42(b) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जन जाति की भूमि किसी भी प्रकार से अन्य जाति के व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती रूप से निर्णय एवं डिक्री वादी / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 के पक्ष में तथा प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये हैं। धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है। समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– इस प्रकरण को निर्णित करने में तनकी नम्बर–1 महत्वपूर्ण तनकी है :–

तनकी नम्बर–1 मौजा कुलथाना तहसील प्रतापगढ में गत आराजी नम्बर–1042 रकबा 8.18 बीघा लगानी 12 रूपये पौने चारआने संवत 2002 में वादीगण के पिता के नाम पर थी तब से वादीगण के पिता का कब्जा चला आ रहा है व उसके स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण का कब्जा शांतिपूर्ण चला आ रहा है व उक्त आराजी का लगान पहले वादीगण के पिता अदा करते थे व उनके बाद वादीगण अदा करते चले आ रहे हैं।

.....वादी

इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादी / रेस्पोन्डेन्ट पर था। वादी / रेस्पोन्डेन्ट ने इस तनकी को साबित करने हेतु संवत 2002 का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तनकी का निर्णय वादी / रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में किया है। प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट का नाम संवत 2003 से 2014 में खसरा टीप/गिरदावरी में खातेदार के कालम में अंकित है। दिनांक 15–10–1955 जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया, उस रोज भी प्रतिवादी / अपीलान्ट राजस्व रिकार्ड में बतौर Tenent अंकित था जो

अपील डिक्री / टी.ए. / 2008 / 03 / चित्तौडगढ
रतन बनाम गोपाल आदि

दिनांक 15–10–1955 को राजस्व रिकार्ड में बतौर Tenent अंकित हो, वह स्वतः ही खातेदार हो जाता है। संवत 2002 के पश्चात संवत 2003 का राजस्व रिकार्ड ही महत्वपूर्ण राजस्व रिकार्ड है जो दिनांक 15–10–1955 तक खातेदार के इन्द्राज अपीलान्ट के लिये है। जिसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता हैं। दिनांक 15–10–1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के पश्चात धारा–42-B राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान भी दिनांक 22–91956 से प्रभावशील हो गये जिसके तहत अनुसूचित जन जाति की भूमि किसी भी रूप में अन्य जाति के व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअन्दाज करते हुये तनकी नम्बर–1 का निर्णय वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 के पक्ष में पारित करने में त्रुटि की है। इसलिये तनकी नम्बर–1 का निर्णय जो दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किया गया है, निरस्त किया जाकर तनकी नम्बर–1 का निर्णय वादी / रेस्पोन्डेन्टके विरूद्ध किया जाता है।

8– जब तनकी नम्बर–1 का निर्णय वादी / रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध कर दिया गया है तो तनकी नम्बर–3 का निर्णय स्वतः ही वादी / रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध हो जाता है।

9– इस प्रकरण में तो धारा–42(b) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी प्रश्न है। रेस्पोन्डेन्ट / अपीलान्ट जाति से मीणा है, जो अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। धारा–42(b) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की भूमि किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से नहीं दी जा सकती है। इस बिन्दू पर भी वादी / रेस्पोन्डेन्ट का दावा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं हो सकते हैं।

10– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–3–2002 व विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–3–2003 निरस्त किये जाकर वादी / रेस्पोन्डेन्ट का दावा संख्या–27/96 अन्तर्गत धारा–88/89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक गोपाल आदि बनाम रतन खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य

अपील डिक्री / टी.ए. / 2008 / 03 / चित्तौडगढ

रतन बनाम गोपाल आदि